142/5 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 5/5/25 को पेश हो।

55/5 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते प्रक्रम व तामिल आदेश दिनांक 5/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

58/25 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 11/11/25 को पेश हो।

11/11/25 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अप्रार्थी 6.1 ता 25, 27 ता 29 की तामिल हो चुकी है, बावजूद तामिल हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी 6.1 ता 25, 27 ता 29 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की तहमीमि संयुक्त बाड़ में प्रार्थी की हिस्सा जारी की गई है। अधिवक्ता उभयपक्ष ने स्थगन प्रार्थना-पत्र को ठुकराते बाड़ विवादित भूमि की फोरकोर्ट की यथास्थिति बनाये रखे जाने में अपनी तहमीमि प्रदान की है। विवादित भूमि में प्रार्थी के हित निहित है तथा ढहाने बाड़ विवादित भूमि की फोरकोर्ट की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है तथा बाड़ बाहुल्यता के बढ़ने की संभावना है। अतः बाड़ बाहुल्यता को बढ़ने से रोकने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नं. 2 का रकबा 1.13 हैक्टेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर की भूमि पर बाड़ फोरकोर्ट बाड़ स्थल 473/24 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थान से दिनांक विद्युत कनेक्शन, पानी, प्रवेश निकास रास्ते पर प्रभाव नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सिकस है, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर